झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक–09 / (सू0अधि0) 316 / 2013 ग्रा0वि0 / 5220 दिनांक– 05.10.15

प्रेषक,

सियाशरण पासवान,
सरकार के संयुक्त सचिव।

फैक्स / मेल

सेवा में,

उपायुक्त / उप विकास आयुक्त
राँची / देवघर / बोकारो / गोड्डा / पश्चिमी सिंहभूम एवं दुमका।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत माँगी गई सूचना नहीं उपलब्ध कराने के फलस्वरूप आवेदक श्री आनन्द किशोर पाण्डा द्वारा राज्य सूचना आयोग, राँची में दायर अपील संख्या– 1741 / 2014 के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक– 1348, दिनांक– 26.02.2014, पत्रांक–2311, दिनांक–26.03.2014, पत्रांक– 3681, दिनांक–17.07.2015 एवं पत्रांक– 4700, दिनांक–03.09.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर पूर्व प्रेषित प्रासंगिक पत्रों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि बोकारो, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम तथा दुमका जिलों से समेकित जनजाति विकास अभिकरण (मेसो) अंतर्गत PRADAN को 2007–08 से लेकर 2013–14 तक दी गई राशि की सूचना आवेदक को दिये जाने की जानकारी अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। देवघर जिले से कोई भी सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने की जानकारी नहीं दी गई है, जबकि इस विभाग के पत्रांक–3865, दिनांक– 28.07.2015 द्वारा उन्हें फिर से पूर्व प्रेषित पत्रों की छायाप्रतियाँ प्रेषित हैं।

उप विकास आयुक्त राँची के पत्र ज्ञापांक– 118 (i) / वि0, दिनांक– 22.06.2015 द्वारा आवेदक को जिस बिन्दु पर सूचना भेजने की जानकारी दी गई है, वह प्रासंगिक नहीं है। विभागीय पत्रांक–3545, दिनांक– 12.07.2015 द्वारा उन्हें इससे अवगत कराते हुए माँगी गई सूचना आवेदक को भेजने का अनुरोध किया गया था, लेकिन कृत कार्रवाई से अबतक अवगत नहीं कराया गया है। इसके अतिरिक्त मेसो परियोजना के अंतर्गत दी गई राशि की सूचना भी अप्राप्त है।

अपील संख्या– 1741 में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक– 08.10.2015 को निर्धारित है। अनुरोध है कि अपने–अपने जिलों की अपेक्षित सूचना आवेदक को भेजते हुए उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को दिनांक– 06.10.2015 तक देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

5.10.15

सरकार के संयुक्त सचिव।